

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(9)गृह-1/2018 (7793)

जयपुर, दिनांक :

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2021-22 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.10.2021 के समय श्री जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध वार्षिक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने एवं परिनिन्दा का दण्डादेश प्रभावी था परन्तु श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में दायर याचिका संख्या 11579/2021 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 05.10.2021 की पालना में श्री सिंह की डीपीसी की अभिशंषा को सीलड कवर में किया गया है।

श्री जितेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक को प्रदत्त एक वार्षिक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने के दण्ड को महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 25.02.2022 के द्वारा अपास्त किया है। परिनिन्दा के दण्डादेश दिनांक 08.12.2020 एवं 29.10.2021 को गृह विभाग के क्रमशः आदेश दिनांक 09.10.2023 व 20.09.2023 के द्वारा अपास्त किया है।

वर्तमान में श्री जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध कोई दण्डादेश अस्तित्व में नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय ने भी अपने अंतरिम आदेश दिनांक 05.10.2021 में लिफाफा खोलने के निर्देश दिये हैं। इस कारण राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2021-22 की दिनांक 27.10.2021 को आयोजित बैठक में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सीलड कवर में किये गये श्री सिंह की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री जितेन्द्र सिंह/पाबू सिंह को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2021-22 में दिनांक 22.09.2021 की रिक्ति के प्रति एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री राजेन्द्र कुमार रावत/शिवनारायण, (सामान्य) के नीचे एवं श्री बद्रीलाल भांड/अम्बालाल (एससी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। श्री जितेन्द्र सिंह, आरपीएस को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, पुलिस को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Jagveer Singh
Designation: Joint Secretary To
Government

Date: 2024.02.12 12:35:04 IST

Reason: Approved

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भाग, राजस्थान पुलिस, जयपुर-302004
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email: Home.Police@rajasthan.gov.in